

थाना चिल्फी - जिला-कबीरधाम

## चिल्फी व पौड़ी पुलिस की सयुक्त कार्यवाही

- ✦ 455 किलोग्राम (4.55 क्विटल) गांजा व तस्करो चढ़े पुलिस के हथे
- ✦ अन्तर्राजिय गाजा तस्करो बारह चक्का ट्रक के साथ गिरफ्तार
- ✦ अवैध मादक पदार्थ गांजा की कीमत 45 लाख 50 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त बारह चक्का ट्रक कीमती 25 लाख भी जप्त
- ✦ कुल 70 लाख 50 हजार का मशरूका जप्त दिल्ली के तस्करो के साथ उड़ीसा का गाजा सरगना गिरफ्तार

श्री विवेकानंद सिन्हा पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग द्वारा बॉर्डर पर अवैध शराब, गांजा तस्करो एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु श्री शलभ सिन्हा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा जिला इकाई कबीरधाम के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों प्राप्त आदेशों की तामिली करते हुए निरीक्षक रमाकांत तिवारी थाना प्रभारी चिल्फी द्वारा अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए जरिये मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर की ओर से गाजा की बड़ी खेप आने वाली है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुवे श्री पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा द्वारा चिल्फी थाना व पौड़ी चौकी की सयुक्त टीम गठित करके हुये अलग अलग मध्यप्रदेश राज्य में निकलने वाले स्थानों में तत्काल नाकाबंदी लगाई गई। पुनः अन्य मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बताये गये हुलिया का 12 चक्का ट्रक चिल्फी नेशनल हाइवे पर रायपुर जबलपुर मुख्य मार्ग पर जबलपुर की ओर जा रही है जिसकी गतिविधि संदिग्ध है उक्त सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुये प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ थाने के सामने मुख्य मार्ग पर चलित बेरिकेटिंग के माध्यम से संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुये ट्रक क्रमांक dl 1GC/ 1569 कि तलाशी ली गई। तलाशी पश्चात ट्रक के केबिन के डाला में छुपाकर रखे कुल 455 किलो ग्राम गाजा जप्त कर आरोपी उमाकांत परधानी पिता भास्कर प्रधानी उम्र 35 वर्ष निवासी रायगढ़ा थाना चाँदनी जिला रायगढ़ा उड़ीसा वाहन चालक बिजय कुमार पिता लायक सिंग उम्र 25 वर्ष साल साकिन सम्बलपुर थाना जशराना जिला फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश सहचालक हेमराज कुशवाहा पिता कृष्णा कुशवाहा गांव पंचवाह थाना जशराना जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। कुल वजनी चार क्विटल पचप्पन किलो (4.55 क्विटल) कुल कीमत 45 लाख 50 हजार रूपये को जप्त किया गया एवं घटना में प्रयुक्त बारह चक्का वाहन कुल कीमती पच्चीस लाख रूपये को जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश

किया गया है। आरोपियों से पूछताछ करने पर गांजा को अवैध तस्करी करते हुए धन लाभ अर्जित करने हेतु उड़ीसा राज्य से लाकर कबीरधाम होते दिल्ली के विभिन्न स्थानों में खपाने की तैयारी में थे।

इस संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री अजीत ओगरे के निर्देशन में चिल्फी थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत तिवारी व चौकी पौड़ी प्रभारी बृजेश सिन्हा व स्टाप, डायल 112 के कर्मचारी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

